भारत सरकार, गृह मन्त्रालय
Government of India, Ministry of Home Affairs
निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश
Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh
2011
दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482
टैलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419
तार/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौंगवुड, शिमला-171 001 C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

फाईल संख्या-डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-VI

दिनांक - 5 JAN 2017.

सेवा में,

....

....

....

विषय:- जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा गत्ते की खाली पेटियों को नीलामी की दरें प्रस्तुत करने के सम्बंध में |

महोदय,

जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा गत्ते की खाली पेटियों जोकि लगभग 10 से 15 क्विंटल होने की सम्भावना है, की निलामी की जानी है|

निलामी की शर्तें इस प्रकार है:-

1. सभी दरें, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स शिमला-1 के नाम दिनांक 19/01/2017 को 12:00 बजे तक सील बंद लिफाफों में प्राप्त हो जानी चाहिऐ| सभी दरें इस कार्यालय की गठित कमेटी द्वारा उसी दिन दिनांक 19/01/2017 को 12:30 बजे खोली जाऐंगी| निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा|
2. यदि दिनांक 19/01/2017 को भारत सरकार द्वारा किसी भी कारण वश अवकाश घोषित किया जाता है तो सभी दरें अगले कार्यालय दिवस पर खोली जाऐंगी|
3. खाली गत्तों का भार अनुमानित रूप से 10 से 15 क्विण्टल निर्धारित किया गया है जोकि तोलने के उपरांत कम अथवा अधिक आ सकता है|
4.इस कार्यालय द्वारा गत्ते की खाली पेटियों का न्यूंतम निर्धारित मु.10/- रूपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है| इससे कम मुल्य की प्राप्त दर को इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा|

5. खाली गत्ते की पेटियों को तुलवाने की व्यवस्था खरीदार को स्वय: के खर्चे पर करनी होगी। जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि के सम्मुख ही भार मापक तराजू द्वारा सभी खाली गत्ते को तुलवाना होगा। यदि खरीदार खाली गत्तों को तुलवाने हेतु धर्म कांटे का प्रयोग करता है तो उस पर आने वाला व्यय खरीदार को ही वहन करना होगा इसके लिए पहले कांटे पर खाली ट्रक को तथा बाद में भरे हुए ट्रक को जनगणना कार्यालय के प्रतिनिधियों के समक्ष तुलवाना होगा ।

6. खरीदार की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह इन सभी खाली गत्तों को एकत्रित करने की व्यवस्था करेंगे और जनगणना कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान ले जायेंगे । सभी पुराना रिकार्ड जनगणना कार्य निदेशालय से दी गई तारीख को ही उठाना होगा ।

7. खरीदार को निर्धारित समय में जनगणना भवन से सभी खाली गत्ते की पेटियों को स्वंय के खर्च से उठाना पड़ेगा| खरीदार के खर्च पर (यदि धर्म कांटे का प्रयोग होता है तो) कार्यालय द्वारा निर्धारित धर्म-काँटे पर खाली और भरी हुई ट्रक का वजन कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा । वजन कराने से पहले की (खाली ट्रक) वजन भराने के बाद की धर्मकाँटे की रसीद पर सफल बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि और इस कार्यालय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए।

8. पैकिंग खर्च, वाहन चार्ज, चढाना-उतारना, तुलाना, इत्यादि खरीदार को स्वयं भुगतान किया जाना होगा ।

9. यदि खरीदार, जनगणना कार्य निदेशालय से गत्ते की खाली पेटियों को उठाने में विफल (Fail) रहा या उसके द्वारा किसी भी कारण वश देरी हुई और गत्ते की खाली पेटियों को कोई नुकसान हुआ जैसे कि आग लगी या बारिश से खराब हुआ, इसमें जनगणना कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और खरीदार द्वारा जमा की राशि वापिस नहीं की जाएगी और ऐसी किसी भी स्थिति में सारी जिम्मेदारी सिर्फ खरीदार की होगी ।

10. गत्ते की खाली पेटियों की दरें प्रति किलो के हिसाब से दी जानी चाहिऐ| इस कार्यालय द्वारा जो दर अधिक्तम पाई जाऐगी उसी को सफल घोषित किया जायेगा|

11. यदि प्राप्त सभी दरों से यह कार्यालय संतुष्ट नहीं होगा तो साधारण बोली प्रक्रिया को अपनाया जायेगा| जिसके तहत सभी प्राप्त खरीदारों को बोली के माध्यम से गत्ते की खाली पेटियों का मुल्य लगाना होगा जिस खरीदार द्वारा अधिक बोली लगाई जायेगी उसी को सभी गत्ते की खाली पेटियां निलाम की जाऐंगी|

12. संभावित खरीदार द्वारा गत्ते की खाली पेटियों का निरीक्षण सांय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निम्न पते पर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है ।

जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय सरकारी परिसर, लौंगवुड, शिमला-1

13. कार्यालय उच्चतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसके लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं होगा ।

14. यदि यह पाया जाता है कि गत्ते के भाव प्रक्रिया दौरान बढ गए है तो कार्यालय को यह अधिकार रहेगा कि वह दोबारा निविदा आमंत्रित करेंगा और यह कार्यालय, खरीदार को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार नहीं रहेंगा ।

15. भुगतान करने के उपरांत ही खरीदार को सभी गत्ते की खाली पेटियों को इस कार्यालय से उठाने की अनुमति दी जाऐगी| खरीदार को चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा ही समस्त राशि का भुगतान करना होगा जोकि सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 के नाम जारी होना चाहिए| चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने के उपरांत ही गत्ते की खाली पेटियों को उठाने की अनुमति प्रदान की जाऐगी|

16. गत्ते की खाली पेटियों को उठाने से पूर्व खरीदार को लिखित रूप से इस कार्यालय को यह लिखकर देना होगा की उसने गत्ते की खाली पेटियां प्राप्त कर ली है|

17. इस कार्यालय से गत्ते की खाली पेटियों को उठाने के बाद किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा सारी जिम्मेदारी केवल खरीदार की होगी|

18. निलामी की दर प्रस्तुत करने वाली प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

क. प्रपत्र- क को पूर्ण रूप से भर कर, हस्ताक्षर एवं मोहर लगा कर प्रस्तुत करें|

ख. फर्म अथवा दुकान का पंजीकरण सम्बंधित प्रमाण पत्र की प्रति|

19. कोई भी विवाद या भिन्नता के मामले में शिमला क्षेत्राधिकार होगा ।

भवदीय,

(आशीष चौहान)
सहायक निदेशक

5 JAN 2017

प्रतिलिपि: 1. WEB.Cell, ORGI, New Delhi को इस आश्य से ORGI Web Site में upload करवाने की कृपा करें|

भवदीय,

(आशीष चौहान)
सहायक निदेशक

प्रपत्र-क

निलामी की दर प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

प्रेषकः

....

....

....

सेवा में,

सहायक निदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, हिमाद्री खण्ड, लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

महोदय,

सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रत्र संख्या- 26/2015-VI दिनांक 05.01.2017, के प्रति निर्देश से, मै, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को गत्ते की खाली पेटियों को खरीदने हेतु निम्नलिखित दर कोट करता हूं:-

क्र.सं.	सामग्री	प्रति 1 Kg का न्यूनतम भाव (Upset value) (वैट सहित)	प्रति 1 Kg भाव/ दर (वैट सहित)
1.	गत्ते की खाली पेटियाँ	10 रूपये प्रति किलो	

आपके कार्यालय द्वारा मार्गी गई जानकारी निम्नलिखित है:-

नाम (Agent/Paper mill)	
टेलीफोन सं.	
Registration No	
दिनांक	

मैने निलामी हेतु पत्र संख्या डी.सी.ओ.एच.पी. 26/2015-VI, दिनांक 05/01/2017 में दी गई शर्तो और नियमों को पढा है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ ।

स्थान :
दिनांक :

खरीदार के हस्ताक्षर :
फर्म अथवा दुकान की मोहर के साथ